

प्रेस नोट दिनांक- 19.10.2025

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस की कार्यवाही — अपहरण के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त अजय सरोज को गिरफ्तार किया गया है।

प्रतापगढ़।

दिनांक 25.08.2025 को वादिनी निवासी ग्राम तेलियन का पुरवा, मजरा केदौरा, थाना एवं तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री को ग्राम के ही अजय सरोज पुत्र हीरालाल सरोज ने बहला-फुसलाकर तथा शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया।

उक्त प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 320/2025, धारा 87/137(2)/351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) बनाम नामजद अभियुक्त अजय सरोज पुत्र हीरालाल सरोज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष सिंह के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के 30नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 ऋषिकांत इंदौलिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 87/137 (2)/351 (2) बीएनएस थाना लालगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अजय सरोज पुत्र हीरालाल नि०ग्राम तेलियन का पुरवा, मजरे केदौरा, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास नगर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जय सरोज पुत्र हीरालाल निंग्राम तेलियन का पुरवा, मजरे केदौरा, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ०नि० विवेक कुमार मय हमराह कां० ऋषिकांत इंदौलिया थाना लालगंज प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2025

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ०नि० केशवराम, का० अनवार खान, का० कुशल यादव, का० मनीष पाण्डे मय चालक का० विशाल चौथरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 190/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त रोशन पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम दियावा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत खजोहरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-

रोशन पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम दियावा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष ।

इनामिया अभियुक्त रोशन पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम दियावा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 295/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 296/23 धारा 379/411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 299/23 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 482/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 190/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 केशवराम, का0 अनवार खान, का० कुशल यादव, का0 मनीष पाण्डे मय चालक का0 विशाल चौथरी थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक: 19.10.2025

थाना - उदयपुर, जनपद - प्रतापगढ़

मिशन शक्ति टीम व थाना उदयपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पाक्सो आरोपी गिरफ्तार

थाना उदयपुर व मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता — नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा गंभीर अपराध में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 05.07.2025 को थाना उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरे लोका में एक नाबालिग बालिका के साथ घटित घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0

159/25, धारा 65(1) BNS व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें मिशन शक्ति टीम भी सम्मिलित रही। दिनांक 19.10.2025 को अभियुक्त पवन कुमार सरोज पुत्र लालता प्रसाद सरोज निवासी ग्राम पूरे ओझा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 45 वर्ष को गौरीगंज रोड, ग्राम सेमरा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 05.07.2025 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। मामले की रिपोर्ट पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

पवन कुमार सरोज पुत्र लालता प्रसाद सरोज निवासी ग्राम पूरे ओझा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 45 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

प्रभारी निरीक्षक: प्रदीप कुमार

कांस्टेबल: सुरेन्द्र कुमार

कांस्टेबल: प्रमोद कुमार

मिशन शक्ति टीम:

उ0नि0: श्री नन्दलाल यादव

का0: राहुल प्रताप सिंह

महिला कांस्टेबल: मीनू यादव

महिला कांस्टेबल: अमरज्योति

प्रेस नोट दि0-19.10.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के 30नि० पवन वर्मा मय हमराह म०30नि० ज्योति, का० संतोष कुमार, का सौरभ पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ०सं० 1263/17 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामअनुज सिंह पुत्र छेदी सिंह निवासी ग्राम बलीपुर पर्सन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामअनुज सिंह पुत्र छेदी सिंह निवासी ग्राम बलीपुर पर्सन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।

पुलिस टीम-

30नि० पवन वर्मा मय हमराह म०30नि० ज्योति, का० संतोष कुमार, का सौरभ पाण्डेय थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 19.10.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही – 1220 ग्राम अवैध गाजा व गांजा बिक्री के 470 रुपये नगद, 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

नशे के कारोबार पर पुलिस का प्रहार – थाना लीलापुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 30नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का राजकिशोर यादव का० पवन कुमार द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

30नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का राजकिशोर यादव का० पवन कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत सांगीपुर बार्डर इटौरी पुलिया के पास लीलापुर के पास दबिश देकर अभियुक्त अभिषेक वर्मा पुत्र श्याम सुन्दर वर्मा निवासी ग्राम हदीराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 1220 ग्राम अवैध गाजा व गांजा बिक्री के 470 रुपये नगद, 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी बरामद। जिसके संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 285/25 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। बरामद मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अभिषेक वर्मा पुत्र श्याम सुन्दर वर्मा निवासी ग्राम हदीराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 330/23 धारा 394/411/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 331/23 धारा 147/148/149/307/411/413 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ़।

3. मु0अ0स0 409/23 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 285/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से 1220 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 470 रुपये नगद,
01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी बरामद।

पुलिस टीम

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का राजकिशोर यादव का० पवन कुमार
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

“जनपद में नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

श्री दीपक भूकर

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़